न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या- 87/2023 / 22/2024

राज्य

बनाम्

विकास उरांव वगैरह

-: आदेश :-

10.04.2024	वर्तमान वाद की प्रक्रिया जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक 1281/एम0 दिनांक 16.12.2023 से राजसात हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्रारम्भ किया गया। राज्य की ओर से जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि लातेहार थानान्तर्गत मौजा-तुबेद स्थित सुकरी नदी क्षेत्र का दिनांक 29.04.2023 को पुलिस निरीक्षक-सह-थाना प्रभारी, लातेहार एवं सशस्त्र पुलिस बल के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण/छापामारी किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान तुबेद पुल के पास सुकरी नदी से बालू खनिज का उठाव कर तीन ट्रैक्टर वाहन द्वारा नदी से पहुँचपथ रास्ते से मुख्य मार्ग की ओर आते देखा गया। तभी तीनों ट्रैक्टर के वाहन चालक एवं अन्य अवैध खननकर्ता पुल की दुसरी ओर से तेजी से दौड़कर फरार हो गये। पुलिस बल द्वारा उनका पीछा किया गया, परन्तु उन्हें पकड़ा नहीं जा सका तत्पश्चात छापामारी दल द्वारा तीन वाहनों क्रमशः (1) महिन्द्रा ट्रैक्टर रजि0 नं0-JH19D-3886 ईजन नं0-RMD4YBA1801, चेसीस नं0-MBNABAVGAMRD05650 (2) महिन्द्रा ट्रैक्टर मोडल नं0-275DI, ईंजन नं0-006505439CA एवं (3) महिन्द्रा ट्रैक्टर ईंजन नं0-006516554B1SCPLDS119 को सभी ट्रैक्टर में लदे करीब 100-100 CFT बालू खनिज सहित जप्त कर लातेहार थाना परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया। उक्त वाहनों के विरूद्ध स्थानीय थाना लातेहार में थाना काण्ड संख्या-92/2023 दिनांक 29.04.2023 दर्ज कराया गया तथा जप्त ट्रैक्टर को ट्रॉली सहित लातेहार थाना में सुरक्षार्थ रखा गया है, जिसे "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11(V) "Any

minerals, tool, equipment, vehicle or anything seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court." के तहत् जप्त ट्रैक्टर वाहन एवं उसके ट्रॉली में लदे बालू खनिज को राजसात करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया।

उक्त वाद के विपक्षी को नोटिस निर्गत कर उन्हें तामिला कराया गया। नोटिस प्राप्ति के पश्चात् विपक्षीगण द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पक्ष रखा गया।

विपक्षी विकास उरांव एवं मो0 इसराफिल अंसारी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि लातेहार थाना काण्ड संख्या–92/2023 में जप्त वाहन संख्या क्रमशः JH19A-4622 के निबंधित स्वामी विकास उरांव एवं JH19D-4961 के निबंधित स्वामी मो0 इसराफिल अंसारी है। दोनों जप्त वाहन को उनके चालक द्वारा चलाया जा रहा था। दोनों विपक्षीगण के ट्रैक्टर के ट्राली में चालक द्वारा अपने घर के लिए बालू ले जाने का कार्य किया जा रहा था, जिसकी जानकारी प्रतिपक्षीगण को नहीं थी तथा चालक द्वारा किसी भी कागजात को प्रस्तुत नहीं किया गया है। विपक्षीगण को ट्रैक्टर ही जीविकोपार्जन का एक मात्र साधन है। ट्रैक्टर जप्त हो जाने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। विपक्षीगण की यह प्रथम गलती है तथा वे अपनी गलती स्वीकार करते हुए क्षमा याचना करते हैं। न्यायहित में राजसात की कार्रवाई को समाप्त कर ट्रैक्टर एवं ट्रॉली को मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी मो0 मारूफ मियां के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी मारूफ मियां जप्त ट्रैक्टर रजि0 नं0–JH19A-4622 के मालिक हैं। उक्त ट्रैक्टर को लातेहार थाना काण्ड संख्या–92/2023 दिनांक 29.04.2023 में जप्त कर लातेहार थाना परिसर में खुले हालत में रखा गया है। जप्त ट्रैक्टर को फाईनेन्स कम्पनी से फाईनेन्स कराया है, जिसका किस्त भरने में असमर्थ है और विपक्षी इसी ट्रैक्टर से अपने घर एवं परिवार का भरण पोषण करते हैं उक्त बालू विपक्षी अपने घर के कार्य में इस्तेमाल के लिए ले जा रहे थे। इस तरह का कार्य विपक्षी के द्वारा भूलवश गलती किया गया है, जो माफी योग्य है। इस तरह की पुनरावृति विपक्षी द्वारा नहीं की जाएगी। उक्त आलोक में जप्त ट्रैक्टर रजि0 नं0–JH19A-4622 को मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक 85 दिनांक 30.01.2024 से वाहन निबंधन संख्या–51719D-3886 का https://vahan.parivahan.gov.in/vahanreport से वाहन का आनलाईन विवरणी उपलबध कराया गया है, जिसमें वाहन निबंधन संख्या–JH19D-3886 के वाहन मालिक विकास उरांव तथा शपथ

पत्र के माध्यम से वाहन निबंधन संख्या–JH19D-4961 का मो0 इसराफिल अंसारी एवं वाहन निबंधन संख्या–JH19A-4622 का मो0 मारूफ मियां वाहन मालिक होने का दावा किया गया है।

उपरोक्त तथ्यो के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि वाहन का उपयोग नहीं होने पर आर्थिक क्षति होने की संभावना है।

अतः जप्त ट्रैक्टर क्रमशः (1) रजि0 नं0–JH19D-3886 (2) JH19A-4622 एवं (3) JH19D-4961 को ट्रॉली सहित अर्थ दण्ड मो0–50,000/– रूपये सरकारी कोष (JIMMS) में भुगतान करने एवं मो0 50,000/– रूपये का बंध पत्र प्रस्तुत करने तथा एक–एक स्थानीय जमानतदार के उपरान्त कड़ी चेतावनी के साथ निम्नलिखित शर्तों के साथ राजसात की कार्रवाई से मुक्त किया जाता है :–

1. उक्त वाहन की प्रकृति वो पहचान बिना न्यायालय के आदेश का बदल नहीं सकेंगे।
2. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे वो वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
3. वाहन को किसी दूसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
4. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं0 अंकित कर समर्पित करेंगे।

विपक्षी अपने वाहन के संबंध में उपरोक्त शर्तों से संबंधित शपथ पत्र, अर्थ दण्ड की राशि मो0–50,000/– रूपये सरकारी कोष (JIMMS) में भुगतान करने संबंधित चालान की प्रति एवं मो0–50,000/– रूपये का बंध पत्र प्रस्तुत करने तथा एक–एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात 08 सप्ताह के अन्दर दाखिल करें।

आदेश की प्रति थाना प्रभारी, लातेहार थाना, जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार, पुलिस अधीक्षक, लातेहार एवं विपक्षी को भेजें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.04.18 12:48:18 +05:30
Location: 192.168.203.92

उपायुक्त,
लातेहार।

उपायुक्त,
लातेहार।